तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3450/2022/बीकानेर शांति देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-5-2023	एकल–पीठ श्री खजान सिंह, सदस्य उपस्थितः श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री राकेश अरोड़ा, अधिवक्ता अप्रार्थी। श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, उप–राजकीय अधिवक्ता। –––– **आदेश** यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 सपठित धारा 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रकरण सं0 204/2022 में पारित आदेश दिनांक 03–6–2022 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– निगरानी–मीमों के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली ने दिनांक 21–02–2022 को यह आदेश पारित किया कि खसरा नंबर 160 के राजस्व रिकार्ड में एक रास्ता कायम किया जावे। उक्त आदेश की जानकारी होने पर उन्होंने उक्त खेत खसरा नंबर की नाप सीमांकन करने के लिए निवेदन किया जिस पर पटवारी ने बताया कि इस खसरा नंबर के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 21–02–2022 को आदेश पारित कर उक्त खसरा नंबर 160 में रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया गया है। प्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उन्होंने अपने आदेश दिनांक 03–6–2022 द्वारा प्रार्थीगण का स्थगन प्रार्थना पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझा एवं अपील केवल एडमिट कर परीक्षण न्यायालय का रिकार्ड तलब किये जाने का आदेश दिया। उक्त आदेश दिनांक 03–6–2022 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है। 3– उक्त निगरानी दिनांक 28–6–2022 को एडमिट कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब करने एवं शेष अप्रार्थी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र इसके बाद दिनांक 27–7–2022 को पेश किया गया, जिस पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3450/2022/बीकानेर शांति देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी गौर किया गया। 4– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि आलोच्य से पूर्व ही मूल खातेदार नेनाराम की मृत्यु दिनांक 30–12–2021 को हो चुकी थी इसलिए आलोच्य आदेश एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने से निरस्तनीय है, साथ ही उपखण्ड अधिकारी, बाली ने प्रकरण में आलोच्य आदेश दिनांक 21–02–2022 पारित करने से पूर्व ना तो प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया और ना ही सुनवाई का अवसर दिया जबकि आराजी खसरा नंबर 160 प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमें से रास्ता देने से पूर्व उन्होंने प्रार्थीगण को सुना ही नहीं है, ऐसा आदेश सीधे तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है और ऐसे अविधिक आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर उपखण्ड अधिकारी के आदेश को स्थगित कराना चाहा था परन्तु उन्होंने उपरोक्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को नजरंदाज किया है। उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 21–02–2022 में धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 व राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 10–8–2016 तथा राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र दिनांक 30–9–2021 का उल्लेख किया है जबकि रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रावधान धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में वर्णित है। उनका यह भी कथन है कि कदीमी रास्ता एक गांव से दूसरे गांव का होता है, निजी खेत का नहीं, यहां इस प्रकरण में जो कदीमी रास्ता बताया है, वह अपने खेत तक का बताया है, जो गलत है। साथ ही कदीमी रास्ते हेतु प्रस्ताव व सहमति दोनों आवश्यक है। यहां मूल खातेदार नेनाराम फोत हो जाने से मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, ना ही प्रस्ताव पर सहमति आदि बाबत कार्यवाही की गई । अन्त में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने शांति देवी की तरफ से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर यह बताया कि स्वीकृत रास्ता से भिन्न रास्ता खुलवाया गया है, अतः दोनों रास्तो में से जो रास्ता वर्तमान में चालू हालत में हैं, उसको यथावत रखा जावे। 5– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रारिम्भक आपत्ति प्रार्थनापत्र में वर्णित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक अन्तरिम आदेश पारित किया है, जो अन्तिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है, अतः आलोच्य आदेश के विरूद्ध निगरानी मण्डल में चलने योग्य नहीं है। साथ ही उन्होंने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के इस कथन से सहमति दी है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल.आर./3450/2022/बीकानेर शांति देवी व अन्य बनाम राजस्थान राज्य वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दोनों रास्तों में से जो रास्ता वर्तमान में चालू है, उसको यथावत रखा जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 6– विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की वस्तुस्थिति को देखते हुए ही स्थगन पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः आलोच्य आदेश विधिवत है। 7– हमनें उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तथा पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 06–7–2022 का भी अवलोकन किया जिसके साथ अन्य ग्रामवासियों पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा जो शपथ पत्र दिये गये हैं, उनका भी अवलोकन किया। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 02–8–2022 का भी अवलोकन किया। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में एक बार रास्ता खुलवाने के बाद दुबारा से रास्ता बन्द किया गया है जिससे पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहा है। हमारे समक्ष न्यायालय में दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण चूंकि वर्तमान में जो रास्ता चालू है, उसे यथावत रखने के लिए सहमत है, अतः हम इसी स्तर पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारिम्भक आपत्ति प्रार्थना पत्र एवं इस निगरानी प्रकरण को निर्णित कर अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं। 8– परिणामतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रारिम्भक आपत्ति प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है तथा निगरानी प्रार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके यहां लम्बित मूल अपील का दो माह में निस्तारण करें तब तक दोनों रास्तों में से जो भी रास्ता वर्तमान में चालू हालत में है, उसे यथावत रखने का आदेश दिया जाता है। 9– इस आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे तथा इस न्यायालय की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(खजान सिंह)** **सदस्य**	